संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट

प्रस्तावित इस्पात संयन्त्र

बोरई औद्योगिक विकास केंद्र

रसमरा

तहसील और जिला दुर्ग

छत्तीसगढ़

द्वारा

पुष्प स्टील्स एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड

जून 2019

अन्र्तवस्तु

क्रमांक	विषय	पेज संख्या
1.0	परियोजना विवरण	3
2.0	पर्यावरण विवरण	6
3.0	अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय	7
4.0	पर्यावरण प्रबोधन योजना	10
5.0	अतिरिक्त अध्ययन	11
6.0	परियोजना के लाभ	11
7.0	पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना	12

1. परियोजना विवरण

पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (PSMPL) ने बोरई औद्योगिक विकास केंद्र, रसमरा, तहसील और जिलादुर्ग, छत्तीसगढ़ में एक स्टील प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित इकाइयों का नाम और क्षमता नीचे दी गई है:

तालिका 1.1 प्रस्तावित परियोजना की इकाइयों, क्षमता और उत्पादों का नाम

यूनिट का नाम	आकार और उत्पादन क्षमता	उत्पादों का नाम
लौह अयस्क Beneficiation सह पेलेट प्लांट (Iron Ore Beneficiation cum Pellet Plant)	600000 टन प्रति दिन	लौह अयस्क पेलेट
DRI प्लांट	350000 टन प्रति दिन	स्पंज लोहा
इंडक्शन फर्नेस (एस.एम.एस)	320000 टन प्रति दिन	बिलेट्स
फेर्रो एलाय प्लांट (Ferroalloy Plant)	52000 टन प्रति दिन	(FeMn, FeSi, SiMn)
प्रेस मशीन (Press Machines)	120000 टन प्रति दिन	ऑटोमोबाइल पूर्जे
कैप्टिव पावर प्लांट	35 मेगावाट	बिजली

प्रस्तावित इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ईआईए अधिसूचना 14-9-2006 के श्रेणीए क्रमांक 3 (ए) के अंतर्गत आता है। PSMPL ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MOEF & CC) को इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने के लिए आवेदन किया। MOEF&CC ने प्रस्तावित परियोजना संख्या J -11011 / 393/2018-IA II (I) दिनांक 18-12-2019, संशोधन दिनांक 28-06-2019 के लिए ईआईए अध्ययन करने के लिए संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference) जारी की। यह ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट सार्वजनिक जनसुनवाई उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है।

प्रस्तावित परियोजना की लागत: प्रस्तावित स्टील प्लांट की अनुमानित लागत रु 510 करोड़ है।

रोजगार: स्टील प्लांट ऑपरेशन के दौरान 1000 व्यक्तियों को चरणों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष् रोजगार देगा। परियोजना के निर्माण के दौरान लगभग 100 स्थानीय लोगों को 48- 60 महीनों के लिए नौकरी मिलेगी।

भूमि: परियोजना की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम से 11.421 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई है। संपूर्ण भूमि औद्योगिक श्रेणी की भूमि है।

पानी: संयंत्र के लिए पानी की आवश्यकता 5000 किलोलीटर प्रति दिन है। सीएसआईडीसी ने परियोजना के लिए आवश्यक पानी की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध किया है।

कच्चे माल का स्रोत और परिवहन : कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परिवहन रेल द्वारा किया जाएगा। निकटतम रेलवे साइडिंग रसमरा में स्थित है, जो परियोजना स्थल से लगभग 1 किमी दूर है।

स्थान: बोरई औद्योगिक विकास केंद्र, दुर्ग के रसमरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 (दुर्गबाइपास) से सटा हुआ है। रेल और सड़क जैसी परिवहन संरचना बोरई औद्योगिक विकास केंद्र में उपलब्ध है। आस-पास के उद्योग ज्यादातर स्टील बनाने वाले संयंत्र और इस्पात निर्माण इकाइयां (टॉपवर्थ स्टील, रायपुर पावर एंड स्टील, जय बालाजी स्टील, आदि) हैं। शिवनाथ नदी बोरई औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व की ओर स्थित है। रसमरा रेलवे स्टेशन और गाँव औद्योगिक क्षेत्र के उत्तर में लगभग 1 किमी दूर स्थित है। दुर्ग शहर दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 7-8 किमी दूर स्थित है। भिलाईनगर और भिलाई इस्पात संयंत्र पूर्व-दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 13-14 किमी दूर है।

संक्षिप्त विनिर्माण प्रक्रिया

त्कनीकी इस्पात और बिजली बनाने की प्रक्रिया के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रौद्योगिकी का चयन किया गया है। चयनित इकाइयां पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, जिसमें प्रदूषण की तीव्रता कम है। स्टील और पावर प्लांट के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रदूषण मुक्ति मानक प्रस्तावित किए गए हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली को 30 mg/Nm^3 के कण उत्सर्जन उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

पेलेट सन्यंत्र ; (Beneficiation cum Pellet Plant): लौह अयस्क चूर्ण पानी का उपयोगकर के धोया जाएगा और घना लौह अयस्क को बेंटोनाइट, चूने और पानी के साथ मिश्रित किया जाएगा और घूर्णन डिस्क में ball में बनाया जाएगा। लौह अयस्क के पेलेट को बनाने के लिए balls को भट्ठी से गुजारा जाता है।

डी आर आई प्लांट : स्पंज आयरन का उत्पादन करने के लिए लौह अयस्क, कोयला और डोलोमाइट को कुचल दिया जाता है और रोटरी भट्ठा में डाला जाता है। अपशिष्ट गैसों का उपयोग अपशिष्ट गर्मी वसूली बॉयलरों के माध्यम से भाप और बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जाता है।

स्टील मेल्टिंग शॉप : लौह, स्क्रैप, स्पांज आयरन, चूना एंव फेरो एलाय को इंडक्शन फर्नेस मे डाला जाता हैं फर्नेस को गर्म करने के लिये इलैक्ट्रिक का उपयोग किया जाता हैं तरल स्टील को बिलेट के रूप मे परिवर्तित किया जाता हैं स्लैग को अलग कर लिया जाता है .

प्रेसमशीन : Pressshop में ऑटोमोबाइल में उपयोग के लिए विभिन्न पुर्जों को बनाने के लिए बिल्ट(Billets) का उपयोग किया जाएगा।

फेरलॉयल प्लांट : फेरो मैंगनीज, सिलिको मैंगनीज और फेरो सिलिकॉन जैसे फेरोलॉयल का उत्पादन Submerged Arc भट्टी में मैंगनीज अयस्क, कोयला, कोक, स्क्रैप और क्वार्टजाइट का उपयोगकर के किया जाएगा। स्लैग को स्लैग डोर से टैप किया जाएगा।

पावर प्लांट: डी आर आई भट्टों से निकलने वाली गर्म गैस का उपयोग अपशिष्ट ताप वसूली बॉयलरों (heat recovery boilers) में भाप का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा जो 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। डोलोचर और कोयला को मिश्रित करके बॉयलर में भाप और 10 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी।

2. पर्यावरणीय विवरण

आधारभूत पर्यावरणीय आँकडे 1 दिसंबर 2018 से 28 फरवरी 2019 की अवधि के दौरान अध्ययन क्षेत्र से लिए गया था। इन आँकड़ो का एकत्रीकरण पर्यावरण एवं वन मत्रांलय एंव केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशो के तहत किया गया हैं आधारभूत आँकड़े परियोजना स्थल के10किमी. की परिधि मे लिए गये ं

अध्ययन क्षेत्र की वायु गुणवत्ताः– अध्ययन क्षेत्र मे $PM_{2.5}$, PM_{10}, सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाईऑक्साइड, बेन्जीन, ओजोन, कार्बन मोनो ऑक्साइड एंव Benzo(a)Pyrene, आर्सेनिक, निकल, लैड के स्तर को 8 स्थानो पर मापा गयां मापन स्थल का चयन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशो के तहत किया गयां मापन स्थल परियोजना के up wind व down wind दिशा मे स्थिापित किये गयें अध्ययन क्षेत्र के सभी जॉच स्थलो की वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक के अर्न्तगत पायी गयीं

अध्ययन क्षेत्र की ध्वनि गुणवत्ताः–अध्ययन क्षेत्र मे ध्वनि का स्तर मापन8स्थानो पर किया गयां अध्ययन क्षेत्र मे सभी जॉच स्थलो की ध्वनि गुणवत्ता राष्ट्रीय आवासीय, व्यावसायिक एंव औद्योगिक ध्वनि गुणवत्ता मानक स्तर के अर्न्तगत पायी गयीं

अध्ययन क्षेत्र की जल गुणवत्ताः– सतही एंव भूमिगत जल के 8 नमूनों का रासायनिक एंव जैविक परीक्षण किया गयां सतही जल के नमूने गाँव के तालाब एंव शिवनाथ नदी के up stream एंव down stream से लिये गयें शिवनाथ नदी और गाँव के तालाब की गुणवत्ता निर्दिष्टित प्रयोजन मापदण्डो के अर्न्तगत पायी गयीं सतही जल की गुणवत्ता सिंचाई प्रयोजन हेतु उपयुक्त हैं भूमिगत जल के नमूने आस.पास के गांवो के हैण्ड पम्प एंव बोरवैल से लिये गयें अध्ययन क्षेत्र मे भूमिगत जल के नमूनो की गुणवत्ता सन्तोषजनक पायी गयींभूमिगत जल की गुणवत्ता BIS 10500 मापदण्डो के अर्न्तगत पायी गयीं

अध्ययन क्षेत्र की मृदा गुणवत्ताः– अध्ययन क्षेत्र के आसपास के कृषि योग्य खेतो से मृदा के 8नमूनो का परीक्षण किया गयां ं अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी बलुइ–दोमट प्रकार की हैं मृदा मे कार्बनिक पदार्थ, नाईट्रोजन, पोटेशियम एंव फास्फोरस सामान्य मात्रा मे पाये गये ं मृदा की पी. एच. एवं चालकता मानक सीमा में पायी गयीं

मौसमः– मौसम सम्बन्धी ऑकडें एकत्रित करने के लिएमेट स्टेशन स्थापित किया गया हैं ऐतिहासिक मौसम से सम्बन्धी आँकड़े भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से लिये गये हैं प्रभावी वायु उत्तरी पूर्व दिशा से पायी गयीं

सामाजिक एंव आर्थिक स्थितिः–अध्ययन क्षेत्र के लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य हैं धान क्षेत्र में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। क्षेत्र में उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं चना अरहर उड़द मूंग केला अमरूद पपीता आदि सब्जियांऔरफल भी अध्ययन क्षेत्र में उगाए जाते हैं

3.0 अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय

प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	चिमनी की ऊँचाई;मी
Pellet Plant	ESP	30
PP Dedusting	Bag filter	30
1x200 TPD DRI Kiln	ESP	40
1x350 TPD DRI Kiln	ESP	50
1x500 TPD DRI Kiln	ESP	60
4x15T Induction Furnace	FES, Bag filter	30
3x12T Induction Furnace	FES, Bag filter	30
DRI Dedusting	Bag filter	30
3 x 9 MVA Submerged Arc Furnace0	FES, Bag Filter	30
10 MW AFBC	ESP, FGD & SNCR	30

चिमनी से निकलने वाले वायु उत्सर्जन के गणितीय मॉडलिंग अध्ययन से पता चलता है कि परियोजना के संचालन के बाद अध्ययन क्षेत्र की परिवेशी वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों के भीतर रहेगी। अधिकतम जमीनी स्तर की सांद्रता (MGLC) को मौजूदा बेसलाइन स्तरों पर सुपरइम्पोज किया गया है. अध्ययन क्षेत्र के आस.पास की परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक सीमा के अर्न्तगत रहेगीं

परियोजना द्वारा वायु गुणवत्ता और प्रतिशत योगदान का प्रभाव (24-h avg in µg/m³)

प्रदूषक	वर्तमान वायु गुणवत्ता Background level, Max	योजना से बढोत्तरी Predicted MGLC	कुल बढोत्तरी Resultant Concentration	राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक NAAQS (Nov 2009)
SO_2	10	3.5	13.5	80
NO_X	16	3.9	19.9	80
PM_{10}	68	6.7	75	100

रोकथाम के उपाय – सभी इकाइयों से धूल उत्सर्जन को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स, बैगफिल्टर, स्क्रबर्स, फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम और वॉटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम का उपयोगकर के नियंत्रित किया जाएगा। सभी स्रोतों से आउटलेट धूल उत्सर्जन 30 mg/Nm³ के भीतर प्रतिबंधित किया जाएगा। SO_2 और Nox उत्सर्जन 100 mg/Nm³ के भीतर प्रतिबंधित होगा।

गैसीय प्रदूषकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशानुसार ऊँची चिमनियो की सहायता से विस्तृत दायरे में फैलाया जायेगां हरित पटटी विकास के लिए 33% भूमि क्षेत्र को चिह्नित किया गया है। परिसर के चारों ओर 10-25 m मीटर चौड़ा हरित पटटी विकसित किया जाएगा। निर्माण गतिविधि के दौरान उत्पन्न धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। प्लांट की सभी आंतरिक सड़कों को कंक्रीट बनाया जाएगा। सभी सड़कों और दुकान के फर्श की नियमित रूप से सफाई की जाएगी। स्टॉक हाउस, डे बिंस, मटेरियल हैंडलिंग, क्रशिंग, स्क्रीनिंग इत्यादि सभी स्रोतों से उत्सर्जित धूल को प्लांट डस्टिंग सिस्टम का उपयोग कर के नियंत्रित किया जाएगा।

ध्वनि गुणवत्ता –निर्माण के दौरान वाहनों की आवाजाही, कच्चे माल और उत्पाद को लाने और ले जाने के दौरान होने वाली ध्वनि को कम करने के लिए नियमित व्यवस्था सारणी बनाई जायेगीं इकाई परिसर मे आई.डी. फैन्स, एयर ब्लास्ट, टरबाईन पम्प, एयर कम्प्रेसर, ब्लोअर, मिल आपरेशन एंव रोटेटिगं मशीने ध्वनि का मुख्य स्रोत होगें ये सभी क्रियाये बन्द शेडों के अन्दर सम्पन्न कराई जायेगीं इकाई मे उपयोग आने वाली सभी मशीनों की नियमित मरम्मत की जायेगीं अधिक ध्वनि वाले स्थान मे ध्वनिरोधक तत्व का इस्तेमाल किया जायेगा

ताकि परिवर्तित ध्वनि को कम किया जा सकें हरियाली का विकास ध्वनि नियंत्रण मे सहायक होगां 33प्रतिशत भूमि मे हरियाली का विकास किया जायेगा, जो ध्वनि नियंत्रण मे सहायक होगां अधिक ध्वनि वाले स्थानो पर कार्य करने वाले मजदूरों को ईयर प्लग दिये जायेगे ' इन सभी उपायों को अपनाने से इकाई परिसर की सीमा मे ध्वनि का स्तर दिन मे 75 dB(A) एंव रात मे 70 dB(A) की राष्ट्रीय ध्वनि गुणवत्ता मानक सीमा में रहेगां

जल गुणवत्ता – इस परियोजना में अपशिष्ठ जल को उपचारित कर पुनः उपयोग किया जाऐगां विभिन्न इकाईयों से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ठ जल को उपचारित किया जायेगां घरेलू अपशिष्ठ जल को घरेलू अपशिष्ठ जल उपचारित सयंत्र (एस.टी.पी-) में उपचारित किया जायेगां उपचारित जल का बागवानी में उपयोग किया जायेगां

रोकथाम के उपाय– निर्माण काल के दौरान कैन्टीन, साइट आफिस एंव अन्य स्थलो से निकलने वाले जल के लिए अलग से नालियों का निर्माण किया जायेगा जिसमे सेडिमेन्टेसन पिट एवं ऑयल सेपरेटर बनाये जायेगेंइस जल का धूल निर्मूलीकरण मे उपयोग किया जायेगां घरेलू अपशिष्ठ जल को अपशिष्ठ जल उपचारित सयंत्र (एस.टी.पी) में उपचारित करने के बाद बागवानी में पुनः उपयोग किया जायेगांअपशिष्ठ जल को उपचारित करने के बाद ईकाई परिसर के अन्दर पुनः उपयोग किया जायेगां सामान्य स्थितियों मे परिसर के बाहर उपचारित अपशिष्ठ जल का निस्त्राव नही किया जायेगां वर्षा जल के लिये अलग से नालियां बनाई जायेंगी, जिसमे सेडिमेन्टेसन पिट एवं ऑयल सेपरेटर बनाये जायेगें मानसून के दौरान अतिरिक्त वर्षा जल को नजदीकी नाले मे निस्त्राव किया जायेगां स्पैंट आयल एवं लुब्रीकेंट को ड्रमो में एकत्रित कर पर्यावरण विभाग द्वारा पंजीकृत पुर्न चक्रण कर्ता को भेज दिया जायेगां

ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन– इस परियोजना से उत्सर्जित होने वाली अधिकतम ठोस अपशिष्ठों को पुनः उपयोग कर लिया जायेगां राज्य सरकार की सलाह से अनुपयोगी ठोस अपशिष्ठो के निपटान के लिए अपशिष्ठसग्रहण, एवं निपटान सुविधाए एंव घरेलु एवं व्यवसायिक कूड़ा–कचरा के निपटान के लिये सार्वजनिक ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन सुविधाविकसित करेगां निपटान स्थल की रूपरेखा एवं निर्माण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार किया जायेगां

मृदा, **जन स्वास्थ्य** एवं **पारिस्थिति की गुणवत्ता**–इकाई क्षेत्र और इसके आस.पास की मृदा की इनफिल्ट्रेशन दर सामान्य हैं इकाई परिसर से उत्सर्जित होने वाली धूल को धूल नियंत्रक उपकरणों के प्रयोग से कम किया जायेगां इकाई परिसर से उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ठो एंव वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणो से उत्सर्जित होने वाली अधिकतम धूल का पुनः उपयोग कर लिया जायेगां इकाई परिसर से उत्सर्जित होने वाली धूल को स्क्रबर और बैग

फिल्टर जैसे अत्याधुानिक धूल नियंत्रक उपकरणों के प्रयोग से कम किया जायेगा ् ऊँची चिमनिया उत्सर्जित वायु प्रदूषको;फ्लयू गैसको इकाई परिसर के चारो ओर विस्तृत दायरे में फैलाने मे सहायक होंगी ् सभी वायु उत्सर्जकों उत्सर्जित धूल का स्तर 30 मिलीग्राम प्रति नार्मल मी^{3}के अर्न्तगत रखा जाएगां 33% हिस्से मे हरियाली का विकास किया जायेगां ये सभी उपाय आस पास की पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभावो को कम करने मे सहायक होगें

उचित पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय को अपना कर वायुप्रदूषको का स्तर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता की सीमा में रखा जायेगां अतः मानव स्वास्थ्य एवं वनस्पति पर इसका कम से कम प्रभाव पड़ेगां **गणितीय** अध्ययन से ज्ञात हुआ है, कि प्रभावी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक स्तर की सीमा में रहेगीं इकाई से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ठ जल का पुनः उपयोग किया जायेगां इकाई में जहरीले रसायनों एंव हानिकारक अपशिष्ठो का उपयोग नहीं किया जायेगाए अतः इकाई संचालन से मानव स्वास्थ्य पर इसका नगण्य प्रभाव होगां

भू आकार –परियोजना स्थल से किसी भी प्रकार के निर्माण सामाग्री का उत्खन्ननही किया जायेगां खुदाई के दौरान निकली मृदा का भराव एंव समतलीरकरण के लिये उपयोग किया जायेगां विद्यमान जल निकासी को ध्यान मे रखकर जल निकासी के लिये अलग से नालियों का निर्माण किया जायेगा ताकि जल भराव की स्थिति न उत्पन्न हों

4.0 पर्यावरण प्रबोधन योजना

पर्यावरण प्रबन्धन विभागः प्रस्तावित परियोजना में पर्यावरण प्रबंधंन विभाग की स्थापना की जायेगीं ई.एम.डी. कार्यपालक निर्देशक अधिकारी के अधीन होगीं ई.एम.डी. मे सभी सुविधाओ से परिपूर्ण पर्यावरणीय प्रयोगशाला स्थापित की जायेगीं ई.एम.डी. मे शिक्षित एंव अनुभवी वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की नियुक्ति की जायेगीं

पर्यावरण प्रबन्धन विभाग के क्रिया कलापः पर्यावरण प्रबन्धन विभाग द्वारा निम्नलिखित क्रिया कलाप सम्पन्न कराये जायेगें

1. राज्य प्रदूषण नियंन्रण बोर्ड के दिशानिर्देशानुसार इकाई परिसर में 3 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता एवं ध्वनि गुणवत्त की जांच हेतु ऑनलाईन मोनीटरिंग स्टेशन की स्थापना करनां

2. चिमनी उत्सर्जन, फ्युजिटिव उत्सर्जन, एवं कार्यस्थलों में होने वाले उत्सर्जनों की नियमित प्रबोधन करना एवं किसी भी असामान्य स्थिति मे प्रभावी उपाय करनां

3. पुर्न चक्रित जल, अपशिष्ठ जल, भूमिगत जल एवं सतही जल की गुणवत्ता की नियमित जाँच करना

4. इकाई परिसर में मशीनों, उपकरणों एवं कार्य स्थलो के ध्वनि के स्तर की नियमित जाँच करनां

5. इकाई परिसर में हरित पट्टी का विकास एवं हरियाली के अन्य रूप जैसे बागीचों, पौध शालाओं को विकसित करनां

6. इकाई से उत्पन्न ठोस अपशिष्ठों की मात्रा एवं गुणवत्ता की नियमित जाँच एंव इनके पूर्नउपयोग की योजना तैयार करनां

7. वर्षा जल संग्रहण एवं जल संरक्षण के लिए ठोस योजना तैयार करनां इसके अतिरिक्त उपचारित जल के पुनः उपयोग की योजना बनानां

5.0 अतिरिक्त अध्ययन

जोखिम एंव रोकथाम के उपाय – आवश्यक जोखिम रोकथाम के उपाय एंव अग्निशामको उपकरणो का उपयोग किया जायेगां उत्तम डिजाइनो एंव दुर्घटना रोकथाम के उपायो को अपनाकर इकाई मे होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जायेगां दुर्घटनाओं के दौरान जनता के स्वास्थय एंव सुरक्षा के लिए आपातकालीन उत्तरदायी योजना बनाने मे जिला प्रशासन के सलाह मशवरे को भी सम्मलित किया जायेगां

6.0 प्रस्तावित परियोजना के लाभ

इस परियोजना लगने से देश की स्टील की मॉग एंव आपूर्ति का अन्तर कम होगां यह परियोजना राज्य सरकार को अतिरिक्ति राजस्व प्रदान करेगीं विद्युत एवं स्टील उत्पादन मे वृद्धि से देश की आर्थिक एंव आधारभूत सुविधाओं में उन्नति होगीं इकाई निर्माण के लिए तकरीबन 100 व्यक्तियों **को** 48- 60 **महीनों के लिए** रोजगार प्राप्त होगां **प्रस्तावित** परियोजना के संचालन के दौरान लगभग 1000 को चरणों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष् रोजगार उपलब्ध होगां कम्पनी मे उपलब्ध सभी रोजगार के अवसरो मे स्थानीय व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगीं **कौशल विकास कार्यक्रम स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने और उन्हें परियोजना में नियोजित करने के लिए लागू किय जाएगा। PSMPL मानदंड के अनुसार विभिन्न सामाजिक. आर्थिक और सामुदायिक विकास गतिविधियों के लिए खर्च करेगा।**

7.0 पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना

पर्यावरण प्रबंधन विभाग ईआईए रिपोर्ट में उल्लिखित सभी सिफारिशों को लागू करेगा और एसपीसीबी की पर्यावरणीय मंजूरी और सहमति शर्तों में एम ओ ई एफ और सीसी द्वारा दी गई सभी शर्तों का पालन करेगा। प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण प्रबंधन के लिए पूंजीगत लागत 13 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण प्रबंधन के उपायों को लागू करने के लिए आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 2.7 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया जाएगा। ईएमडी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वायुप्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अपशिष्ट उपचार संयंत्र और जलपुन: परिसंचारी प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य करें। संसाधन संरक्षण (कच्चेमाल, पानी इत्यादि), वर्षा जल संचयन और सामाजिक वानिकी विकास के लिए योजनाओं को ईएमडी द्वारा लिया जाएगा। संयंत्र परिसर के अंदर और बाहर ग्रीन बेल्ट और हरियाली का विकास ईएमडी द्वारा किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ईएमडी संयंत्र और आसपास के क्षेत्रों में सफाई सुनिश्चित करेगा। सभी रिकॉर्ड नियामक अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कंपनी गेट और वेबसाइट जैसी प्रासंगिक जगहों पर प्रदर्शित किए जाएंगे और ईएमडी द्वारा बनाए रखा जाएगा।